

दिनांक

आज्ञा पत्र

16.01.25

पत्रावली पेश। एबी-3 का नं. 35)

वार्ता वृत्त दिनांक 21.1.25 का पेश।

20

21.01.25

पत्रावली पेश। पत्रावली का क्षेत्राधिकार के बिंदु पर अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा चारा 132, 133 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार इस चारा में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय को है। फलतः प्रस्तुत अपील अपीलांत को सहाय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अहमद आदेशिका एवं अपील में मौं की मूल प्रति इस न्यायालय में सुरक्षित रखे। शेष पत्रावली अपीलांत को लौटाकर आदेशिका पर प्राप्ति लेवे। विचारण न्यायालय की पत्रावली यदि प्राप्त है तो लौटाई जावे। पत्रावली फंसल-शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजरव अपील अधिकारी  
सांकर

